न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 90 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 230

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
बाबूराम पुत्र पूनमाराम, जाति–मेघवंशी, निवासी–मौखुपुरा तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	झूंमादेवी पत्नी पूनमाराम, जातियान–मेघवंशी, निवासीगण–मौखुपुरा वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 06.11.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा मौखुपुरा, पटवार हल्का सांचौर के खेत खसरा नंबर 2641 रकबा 1.06 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्तसुदा आया हुआ है। मौजा मौखुपुरा में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी खेत उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी का संवत् 2050 में सहखातेदारों की सहमति से मौखिक बंटवाड़े के जरिये मौके पर आपसी बंटवाड़ा कर प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग कर माठे कायम कर कब्जा काश्त प्राप्त लिया। माफिक बंटवाड़े से प्रार्थी के हिस्से की आराजी मौके पर अलग कर चारों तरफ माठे कायम कर कब्जा काश्त प्रार्थी का है जो बदस्तूर है। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी को मौके पर समतल कर खाद इत्यादि डालकर उपजाउ बनाया है। प्रार्थी के हिस्से में सालों–साल प्रार्थी काश्त करता आ रहा है। बिगोड़ी प्रार्थी के हिस्से की प्रार्थी अदा करता आ रहा है। मौके पर बंटवाड़े अनुसार प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा होने से प्रार्थी को ग्राम मौखुपुरा में स्थित उपरोक्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से का बंटवाड़ा घोषित करवाने का अधिकार है। अप्रार्थीगण की नियत में खोट पैदा हो जाने से संवत् 2050 के बंटवाड़ा से मुर्कर जाने एवं प्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी को जबरदस्ती हड़पना चाहते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी [illegible] जानी के पूर्व में किसी अन्य तीसरे पक्षकार को अवैध रूप से बैचान कर प्रार्थी [illegible] प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बैदखल करने पर उक्त भूमि जबकि बंटवाड़े संवत् 2050 के अनुसार प्रार्थी के कब्जाकाश्त की आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा बंटवाड़े की तारीख से निरन्तर चला आ रहा है जो बदस्तूर है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थी, प्रार्थी के हिस्से एवं बंट की आराजी में काश्त कार्य कर रहा था इतने में अप्रार्थीगण ने एक नाजायज मजमा बनाकर प्राण घातक शस्त्रों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:54:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

लैस होकर मौके पर आकर प्रार्थी को उक्त आराजी छोड़कर जाने की मौखिक एलानियां धमकी दी, जबकि उक्त आराजी में प्रार्थी का कब्जा काश्त आया हुआ होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में मेडआउट होता है जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न पैदा होता है भूमि पुश्तैनी होने व शांतिपूर्वक बैरोकटोक लगातार कब्जाकाश्त प्रार्थी का आया होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा जहां अपूरणीय क्षति का प्रश्न पैदा होता है प्रार्थी का लगातार शांतिपूर्वक बैरोकटोक प्रार्थी के हिस्से की आराजी में आया होने से यदि प्रार्थी को प्रार्थी के पुश्तैनी हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका रूपयों पेशों में आंकलन नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तक बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि मौजा मौखुपुरा में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से प्रार्थी के हिस्से व कब्जाकाश्त की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मौखुपूरा पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नंबर 2641 रकबा 1.06 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जा... ...र हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:32 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **01.07.2025** को सर–ए–इजलास सु... गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)